


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|--|
| 03.11.25 | <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>दोनो पक्षों के वकील उपस्थित। दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदडी की खसरा संख्या 291 रकबा 4.6458 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 291/1 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)</p> | |



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 1934

दिनांक : 03.11.2025

प्रार्थीगण
छोगाराम पुत्र पेमाराम

बनाम

विप्रार्थीगण
भीमाराम पुत्र प्रभुराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश
जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं. 94 / 2024

दिनांक :- 03.11.25

—: आदेश :—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदडी की खसरा संख्या 291 रकबा 4.6458 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 291/1 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रुपये 2000/- प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 1935 - 1938
प्रतिलिपि :

दिनांक : 03.11.2025

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी सरवडी चारणान तहसीलदार समदडर द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रिकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी छोगाराम पुत्र पेमाराम जाति चौधरी निवासी सरवडी चारणान तहसील समदडी जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)